राजधानी जागरण

सामान्य प्रशासन विभाग का स्वरूप बदला पटनाए जागरण ब्यूरो : कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम बदलने के बाद काम का अंदाज भी बदल गया है। एक अप्रैल से कार्मिक विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग कर दिया गया। अब भारत सरकार और दूसरे राज्यों के सामान्य प्रशासन विभाग की कार्य पद्धति को देखते हुए यह परिवर्तन किया गया है। इसके बाद एक ही अधिकारी के जिम्मे एक तरह के काम होंगे। आरोप भी वही देखेंगे और प्रोन्नति के मामले भी वही देखेंगे। इस पुनर्गठन के मद्देनजर पूरे विभाग को सात डिवीजन में बांटा गया है। अखिल भारतीय प्रभागए बिहार प्रशासनिक सेवा प्रभावए प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभागए सेवा प्रभागए सचिवालय स्थापना प्रभागए क्षेत्रीय स्थापना प्रभाग और बजट एवं लेखा प्रभाग। हर प्रभाग का कनीय और वरीय प्रभाग दो अधिकारियों के बीच बांटा गया है। जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए कनीय प्रभार उप सचिव आनंद बिहारी प्रसाद तो वरीय प्रभार विशेष सचिव के अधीन। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए कनीय प्रभार अजय कुमार सिन्हा के अधीन है तो वरीय प्रभार संयुक्त सचिव अतुल कुमार सिन्हा के अधीन। पहले आरोप से संबंधित फाइल दूसरे अधिकारी देखते थे तो प्रोन्नति से जुड़े मामले दूसरे अधिकारी। क्रास चेक की व्यवस्था थी। नयी व्यवस्था में प्रोन्नति के मामले देखने वाले अधिकारी को आरोपों की भी जानकारी रहेगी। मगर इसका दुरुपयोग हुआ तो आरोप और प्रोन्नति में खेल की संभावना बढ़ सकती है।